प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनाँक 10.03.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 04 किलोग्राम अवैध अफीम, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 48 लाख रूपये बरामद।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 48 लाख रूपये है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 49/24 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप ढाका पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम ढिकोली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 04 किलोग्राम अवैध अफीम (अनुमानित कीमत करीब 48 लाख रूपये)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1638/2013 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

2-मु0अ0सं0 150/2014 धारा 411/414/420/482 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

3-मु0अ0सं0 998/2013 धारा 379/411 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

4-मु0अ0सं0 93/2013 धारा 379/411 भादवि थाना डीबीजी रोड नई दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-व0उ0नि0 श्री नन्दकिशोर राजपूत थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

4-है0का0 161 दिनेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

5-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 10.03.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 110/24 धारा 147/148/149/307/323/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.02.2024 को थाना बड़ौत पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम ईदरीशपुर में दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना बड़ौत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर प्रथम पक्ष के अभियुक्त 1.इकबाल पुत्र अब्बास, 2.युसुफ, 3.यामीन पुत्रगण अकबर अली, 4. फरमान, 5. कुर्बान पुत्रगण इकबाल, 6.वसीम पुत्र श्यामू निवासीगण ग्राम ईदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत तथा द्वितीय पक्ष के अभियुक्त 1.शराफत, 2. माजिद, 3.खालिद, 4.राकिब, 5. साजिद, 6.नौशाद, 7.वाजिद पुत्रगण युनुस निवासीगण ग्राम ईदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत व 8. मुनासिर पुत्र नामालूम निवासी वहादरनगर सहारनपुर आपस में अपने-अपने हाथों में लाठी-डन्डे, धारदार हथियार व अवैध तमंचे लेकर आपस में एक दूसरे को जान से मारने कि नियत से फायरिंग तथा मारपीट, गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए आपस में भीड रहे थे। पुलिस व जनता के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं माने और झगडा करने लगे। इस सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 147/148/149/307/323/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 110/24 धारा 147/148/149/307/323/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता:

नौशाद पुत्र युनुस निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 454 ओमवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनांक 10.03.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 48/2024 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ तार/केबिल बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.03.2024 को थाना छपरौली पर वादी नवाजिस खान पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके ट्यूबैल से तार/केबिल चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 48/2024 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ तार/केबिल बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सद्दाम पुत्र जहीर अहमद निवासी ग्राम इकरामपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ तार/केबिल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना छपरौली।
2-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली।
3-का0 1028 मुरली थाना छपरौली।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 10.03.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 50/24 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृताओं (दो सगी बहनें) को 24 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 324/23 धारा 363 भादवि से संबंधित 02 अपहृताओं को 24 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- राजा उर्फ नन्दू पुत्र गुलशन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

2- अंकित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत।

2-का0 1019 अजय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-का0 800 घनेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

2-म0का0 40 निशी थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 10.03.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

प्रवीण पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बुढ़पुर थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत।

2-का0 566 इन्द्राज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।